

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

वादी :-

बनाम

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरिये भूमि
अधिकारी तहसीलदार जैतारण

अमराराम पुत्र पोकरराम जाति
देवासी निवासी बलुपुरा

मु0न0 :रा. वादपत्र स0: 117/2023

राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व
हाजरी तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुब्दई पेश होकर हुक्म दिया
जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा-बलुपुरा
पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण, जिसका खसरा नम्बर 108/5 कुल रकबा
0.2833 किस्म बारानी दोयम में से अकृषिक प्रयोग लिए गए 0.01907 हेक्टेयर
रकबे को खातेदारी से विलोपित करते हुए खातेदार के कुल रकबे में से कम किया
जाकर सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया
जाता है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेते हुए मौके पर निर्मित अकृषिक
संरचनाओं को भौतिक रूप से बेदखल करें तथा इस आदेश का भू-अभिलेख में अमल
दरामद करें।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .

...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18.11.2024 को जारी

किया गया।

मोहर



यक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला-ब्यावर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुब्दई	रूपये	पैसे	मुब्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0.00		स्टाम्प वकालतनामा	0.00	
स्टाम्प वकालतनामा	0.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	0.00		मिजान:-	0.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।